प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 272/2002

याचिकाकर्ता / वादी - सुनील कुमार पाठक, पिता स्वर्गीय श्री एम.एन. पाठक, निवासी राजा तालाब रोड, सिविल लाइन्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

अनावेदकगण/ प्रतिवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. नजूल अधिकारी, रायपुर, कलेक्टर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से।

3. नायब तहसीलदार, द्वारा नजूल विभाग, कलेक्टर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से।

4. अनिल पाठक, स्वर्गीय एम.एन. पाठक, निवासी टी.आई. विजिलेंस, रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविस प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण

उपस्थित :

याचिकाकर्ता / वादी की ओर से श्री श्रीकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आनंद गुप्ता, अधिवक्ता।

अनावेदक / प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री जी.डी. वासवानी, शासकीय अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 25.07.2007 को पारित)

सुना गया।

2. दिनांक 03.04.2002 को सिविल अपील क्रमांक 47-क/2001 में तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि चतुर्थ सिविल न्यायाधीश, श्रेणी-2, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 250-क/1992 में दिनांक 18.01.1993 को पारित निर्णय एवं डिक्री के द्वारा यह घोषित किया गया कि याचिकाकर्ता/वादी ने रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 3/11 के 4,500 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले भू-भाग पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना स्वत्व सिद्ध कर लिया है। अनावेदकगण/प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर याचिकाकर्ता/वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अनावेदकगण/प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा दिनांक 06.09.1997 को एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसके साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के क्षमा हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। उसमें यह कहा गया कि दिनांक 22.08.1998 को, जब निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन में कब्जा वारंट के संबंध में उद्घोषणा की जा रही थी, तभी अनावेदकगण/प्रतिवादीगण को प्रथम बार यह जानकारी प्राप्त हुई कि व्यवहार वाद क्रमांक 250-क/1992 में दिनांक 18.01.1993 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी। आक्षेपित आदेश द्वारा प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर ने उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षम्य कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. यह विवादित नहीं है कि व्यवहार वाद की सूचना प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को विधिवत तामील की गई थी तथा श्री वी.के. नायक, शासकीय अधिवक्ता, उनकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.05.1992 को उपस्थित हुए थे।

5. श्री श्रीकुमार अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अनुसार, जहाँ समन प्रतिवादियों को विधिवत तामील

किया गया हो, वहाँ 30 दिनों की परिसीमा अवधि डिक्री की तिथि से प्रारंभ होती है। इस प्रकार, चूँकि एकपक्षीय डिक्री दिनांक 18.01.1993 को पारित हुई थी, इसलिए दिनांक 06.09.1997 को अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था, क्योंकि न केवल प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से दिनांक 09.05.1992 को शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, बल्कि उन्हें निष्पादन प्रकरण क्रमांक 250-क/1992 की सूचना भी दिनांक 07.07.1997 को प्राप्त हो चुकी थी। यह तर्क दिया गया कि दोनों ही परिस्थितियों में अपील स्पष्ट रूप से परिसीमा से बाधित थी।

6. इसके विपरीत, श्री जी.डी. वासवानी, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब तक आक्षेपित आदेश में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि प्रदर्शित न की जाए, तब तक उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण स्वीकार नहीं करेगा। इस संबंध में **मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य का अवलंब लिया गया। इसके अतिरिक्त, वे नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ और अन्य, मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम बंगाल नेशनल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड और अन्य, बृज किशोर एस घोष बनाम जयंतीलाल मानेकलाल भट्ट और अन्य, भूमि अधिग्रहण अधिकारी बनाम दिजाबर पांडा और अन्य, आधिकारिक ट्रस्टी, पश्चिम बंगाल बनाम लाल चंद मलिक तथा बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स मेहता ब्रदर्स और अन्य एआईआर 1991 दिल्ली 194** के निर्णयों का भी अवलंब लिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि यद्यपि पक्षकार राज्य था, तथापि केवल शासकीय अधिवक्ता की त्रुटि के कारण राज्य को पीड़ित नहीं किया जा सकता, विशेषतः तब जबकि राज्य को वाद से स्वयं को पृथक रखने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होना था, क्योंकि वादग्रस्त भूमि नजूल भूमि थी तथा वह एक सार्वजनिक कार्यालय के प्रवेश मार्ग के रूप में प्रयुक्त होती थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि निर्णय एवं डिक्री केवल स्वत्व की घोषणा संबंधी थी, तथापि विचारण न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन में डिक्रीधारक को भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया, और इस प्रकार उसने पूर्णतः अधिकारिता के अभाव

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में कार्य किया। इन परिस्थितियों में यह इंगित किया गया कि पक्षकारों के मध्य वास्तविक एवं पर्याप्त न्याय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलंब को उचित रूप से क्षम्य किया गया।

7. परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के पश्चात् मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्नानुसार है :

> 115. पुनरीक्षण [(1)] उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय से विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है और यदि यह प्रतीत होता है कि-
>
> (क) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा
>
> (ख) ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है, अथवा
>
> (ग) ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,
>
> तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे :
>
> [परन्तु उच्च न्यायालय, किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कोई विवाद्यक विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उलटेगा जब ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता ।]
>
> [(2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी ऐसी डिक्री या आदेश में, जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है, फेरफार नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उलटेगा ।]

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[(3) न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही में कोई पुनरीक्षण रोक के रूप में प्रभावी नहीं होगी सिवाय वहां के जहां ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है।

स्पष्टीकरण इस धारा में "ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने विनिश्चय किया है" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई आदेश या कोई विवाद्यक विनिश्चित करने वाला कोई आदेश भी है।]

9. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अवलोकन से किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रहता कि उच्च न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेश में, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 की उपधारा (1) में उल्लिखित तीन प्रकार की अधिकारिता संबंधी त्रुटियों में से कोई एक त्रुटि विद्यमान हो, और किसी अन्य आधार पर नहीं। वर्तमान मामले में, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था तथा उसने तथ्यों के समुचित विवेचन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अनावेदकगण/प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 पर्याप्त कारणवश निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से वंचित रह गए थे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निष्पादन कार्यवाही की प्रति से यह भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि, जो एक सार्वजनिक कार्यालय के प्रवेश मार्ग के रूप में प्रयुक्त होती थी, का कब्जा पूर्णतः अधिकारिता के अभाव में डिक्रीधारक को प्रदान कर दिया गया, क्योंकि विचारण न्यायालय ने कब्जा प्रदान करने संबंधी कोई डिक्री पारित नहीं की थी। इन परिस्थितियों में, पक्षकारों के मध्य सारभूत न्याय सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षम्य करना पूर्णतः उचित था तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की ओर से किसी प्रकार की अधिकारिता संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. **मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य (पूर्वोक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आदेश 22 नियम 9 उपनियम (2) सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलार्थी के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया था, जो प्रतिवादी के पिता के विरुद्ध संस्थित वाद के उपशमन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। उस मामले में विचारण न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दिया था कि अपीलार्थी यह सिद्ध करने में सफल रहा कि वह पर्याप्त कारणवश वाद को आगे बढ़ाने से वंचित रहा था, और इस आधार पर उपशमन निरस्तीकरण संबंधी आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायाधीश के निष्कर्ष से असहमति व्यक्त की तथा यह कहा कि अपीलार्थी समयावधि के भीतर उपशमन निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा विधि द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात प्रतिस्थापन हेतु आवेदन करने में हुए विलंब के लिए कोई उचित कारण स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "उच्च न्यायालय के लिए धारा 115 के अंतर्गत अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्षों पर प्रश्न उठाना खुला नहीं है। धारा 115 उन मामलों पर लागू होती है जिनमें क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न सम्मिलित हों, अर्थात् अधिकारिता के अनियमित प्रयोग अथवा प्रयोग न किए जाने, या किसी न्यायालय द्वारा अवैध रूप से अधिकारिता ग्रहण किए जाने से संबंधित प्रश्न। यह उन विधिक अथवा तथ्यात्मक निष्कर्षों के विरुद्ध निर्देशित नहीं है, जिनमें क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं। एआईआर 1917 पीसी 71; सिविल अपील क्रमांक 452 एवं 487/1962, दिनांक 19.10.1962 (सर्वोच्च न्यायालय) का अवलंब लिया गया।"
>
> यह सिद्धांत कि परिसीमा संबंधी प्रश्न पर दिया गया कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय अधिकारिता के प्रश्न को सम्मिलित करता है, केवल उन मामलों पर लागू होता है

जिनमें विधि किसी न्यायालय की अधिकारिता को पक्षकारों के मध्य किसी विशेष विवाद का विचारण करने से स्पष्ट रूप से वंचित कर देती है; न कि उन मामलों पर, जिनमें किसी विधि के प्रावधानों द्वारा ऐसी अधिकारिता का अपवर्जन नहीं किया गया हो, बल्कि जहाँ कुछ विषयों का निर्धारण स्वयं न्यायालय पर छोड़ दिया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय को कोई आदेश पारित करना होता है और आवश्यकता पड़ने पर पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्णय भी करना होता है। इन दोनों प्रकार के मामलों में अंतर यह है कि एक प्रकार में न्यायालय अधिकारिता से संबंधित विधिक प्रश्न का निर्णय करता है, जबकि दूसरे प्रकार में वह अपने अधिकारिता के भीतर किसी प्रश्न का निर्णय करता है।"

11. **मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य (पूर्वोक्त)** में प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलंब लेते हुए, मैं पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करता हूँ। फलस्वरूप, यह पुनरीक्षण असफल होता है तथा खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(दिलीप रावसाहेब देशमुख)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**